न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–30 / 2015–16

कैसर परवेज बनाम विजय सिंह यादव वगैरह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31/3/18	**आदेश** आवेदक के द्वारा यह वाद दानापुर अंचल तौजी सं0 5059 मौजा चक्करपुर, थाना नं0 35, खाता नं0 11, खेसरा नं0 410 कुल रकबा 73डी0 के लिए विपक्षी विजय सिंह यादव एवं राज किशोर राय दोनों के पिता स्व0 राम दास राय, ग्राम–आसोपुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना के नाम पर कायम जमाबंदी सं0 45 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद में विपक्षी विजय सिंह यादव के द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 02.04.2016 को इस आशय का आवेदन दिया गया कि आवेदक के द्वारा याचिका में विपक्षी के पिता का नाम गलत अंकित किया गया है। विपक्षी के पिता का नाम स्व0 ठाकुर सिंह है। विपक्षी के द्वारा इसी आधार पर आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिनांक 25.06.2016 को इस आशय का आवेदन दिया गया कि उनके आवेदन में विपक्षीगण के पिता का नाम गलत अंकित हो गया है। विपक्षीगण के पिता का नाम स्व0 ठाकुर सिंह पढ़ा जाय। दिनांक 06.08.2016 को सुनवाई के क्रम में आवेदक के दिनांक 25.06.2016 के आवेदन को स्वीकृत किया गया। विपक्षी को प्रतिउत्तर दायर करने हेतु अनेक मौका दिए जाने के बावजूद विपक्षी के द्वारा प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। दिनांक 10.06.2017 को विपक्षी को अंतिम मौका देते हुए आदेश दिया गया कि विपक्षी यदि अगली तिथि तक प्रतिउत्तर दायर नहीं करते है तो एक पक्षीय सुनवाई की जायेगी। विपक्षी के द्वारा प्रतिउत्तर दायर नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 14.03.2018 को एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पर रखा गया। आवेदक का कथन है कि (1) विवादित खाता नं0 11 खेसरा सं0 410 कुल रकबा 73डी0 जमीन के मूल मालिक मौलवी जमील अहमद वल्द मो0 अब्दुल रहीम साकिन मोईमपुर शंकर, थाना–दानापुर, जिला–पटना थे। (2) मौलवी जमील अहमद ने अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड दिनांक 01.04.1940 के निबंधित केवाला से आवेदक के दादा हाजी अहमद अली, चाचा मो0 अमीन उद्दीन, मो0 मतीन उद्दीन एवं आवेदक के पिता मो0 मुस्तकीम के पक्ष में बिक्री कर दिया।	

(3) खरीदगी की तिथि 01.04.1940 से आवेदक के दादा, पिता एवं चाचा विवादित भूखण्ड पर दखल में आये। हाजी अहमद अली की मृत्यु के उपरान्त घर की कर्ता आवेदक की दादी मोहिबन खातून हुयीं। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 07 मोहिबन खातून के नाम से कायम की गयी तथा लगान अदा किया जाने लगा।

(4) आवेदक के चाचा मो0 अमीन उद्दीन ने अपने जीवन काल में खाता सं0 11, खेसरा सं0 366, 397, 415 कुल रकबा 2.65 एकड़ की बिक्री की, जो इस मुकदमा का विषय वस्तु नहीं है।

(5) आवेदक के दादा हाजी अहमद अली, आवेदक की दादी मोहिबन खातून अथवा आवेदक के पिता एवं चाचा के द्वारा विवादित भूखण्ड की बिक्री अथवा हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया गया है।

(6) मो0 अमीन उद्दीन एवं मो0 मतीन उद्दीन की मृत्यु संयुक्त परिवार में रहते हुए निःसंतान हो गयी। इस प्रकार सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आवेदक के पिता मो0 मुस्तकीम दखल में आये। मो0 मुस्तकीम की मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र कैसर परवेज (आवेदक) प्रश्नगत भूखण्ड सहित अन्य भूखण्ड पर दखलकार है।

(7) विपक्षीगण के द्वारा विवादित भूखण्ड की जमाबंदी सं0 53 गलत ढंग से अपने नाम से कायम करवा ली गयी है, जबकि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी बहुत पूर्व से उनकी दादी मोहिबन खातून के नाम से कायम है।

(8) आवेदक के द्वारा विपक्षीगण के नाम से विवादित भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 53 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 01.04.1940 का निबंधित वसीका एवं उसका हिन्दी अनुवाद जिसके अनुसार विवादित भूखण्ड सहित कुल 5.09 एकड़ की बिक्री मौलवी अमीन अहमद के द्वारा मुंशी हाजी अहमद, मो0 अमीन उद्दीन, मो0 मुस्तकीम एवं मो0 मतीन उद्दीन को की गयी है।

(2) दिनांक 20.05.1949 का निबंधित वसीका एवं उसका हिन्दी अनुवाद, जिसके अनुसार खेसरा सं0 366, 397 एवं 415 कुल रकबा 2.64 एकड़ की बिक्री मो0 अमीन उद्दीन के द्वारा बाबु राजकुमार राय को की गयी है।

(3) मोहिबन खातुन की जमाबंदी सं0 7 पर निर्गत वर्ष 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1961–62, 1963–64 एवं 1965–66 की लगान रसीद

(4) मो0 मुस्तकीम का पहचान पत्र

(5) कैसर परवेज का पहचान पत्र

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने

आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड अन्य भूखण्ड के साथ दिनांक 01.04.1940 के निबंधित केवाला से आवेदक के दादा, पिता एवं चाचा के नाम से संयुक्त रूप से खरीदी गयी थी।

(2) दिनांक 01.04.1940 के केवाला से खरीदे गये भूखण्डों में से ही खेसरा सं0 366, 397 एवं 415 कुल रकवा 2.64 एकड़ की बिक्री आवेदक के चाचा मो0 अमीन उद्दीन के द्वारा बाबू राज कुमार राय को दिनांक 20.05.1949 के निबंधित केवाला से की गयी। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दिनांक 01.04.1940 के केवाला से खरीदे गये भूखण्ड पर आवेदक के दादा एवं चाचा का दखल कब्जा था।

(3) आवेदक के दादी मोहिबन खातून के नाम से तौजी सं0 5059 रकवा 3 बीघा 15 कट्ठा 7 धूर की जमाबंदी सं0 7 वर्ष 1956-57 से कायम है, जो मोहिबन खातून के नाम से निर्गत लगान रसीद से प्रमाणित होता है।

(4) विपक्षीगण के नाम से विवादित भूखण्ड के लिए जमाबंदी सं0 45 किस आधार पर कायम की गयी, इसके संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षीगण के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने से इस आशंका को बल मिलता है कि विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी का कोई वैध आधार नहीं है।

(5) आवेदक के द्वारा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0 45 को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु उक्त जमाबंदी को रद्द करने से पूर्व इस न्यायालय के स्तर से इस बात की जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं0 45 के कायम किए जाने का जमाबंदी पंजी में क्या आधार अंकित किया गया है।

अतः अंचलाधिकारी, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह के अन्दर मौजा बबकरपुर थाना नं0 35 में खाता नं0 11, खेसरा नं0 410 कुल रकवा 73डी0 के लिए विपक्षीगण के नाम से दर्ज जमाबंदी सं0 45 के कायम किए जाने के संबंध में अपना जांच प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें। अंतिम निर्णय अंचल अधिकारी, दानापुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।

अभिलेख दिनांक 05.05.2018 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/4/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/4/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना